

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के कार्मिकों के स्थानान्तरण से दोहरा पदस्थापन/संकाय समाप्ति/विषय परिवर्तन/सहवन के कारण अधिशेष हुए निम्नांकित कार्मिकों का सगायोजन उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है-

SN	NAME	Present School	Present District	Transferred School	Transferred District
1	RAMGOPAL SHARMA	GSSS BHAINSWARA, BHANISVARA (221054) TO GSSS BEELKHEDA MAAL BARAN - UNDER TRANSFERRED	JALOR	GOVT. SR. SEC. SCHOOL NOSRA (221101)	JALOR
2	ANJUBALA	GSSS PEMASAR, BIKANER TO GSSS MORKHANA ATHUNA BIKANER - UNDER TRANSFERRED	BIKANER	G.SR.SEC.SCHOOL UDASAR (08030109801) (EFFECTIVE FROM 01-11-2019)	BIKANER
3	NEELAM SHARMA	21396 G.GH.SEC. RAWATBHATA - 24, WARD NO.7,NP RAWATBHATA (224141) TO 21399,GGHSS DUNGLA CHITTAURGARH -UNDER TRANSFERED	CHITTAURGARH	KAJODIMAL PARASMAL SHARMA G.H.S.S. BORAV (224115)	CHITTAURGARH

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करेंगे। जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन से अन्यत्र स्थानांतरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त हो तो तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा में आदेशों की प्रतिक्षा में कार्यमुक्त करें। डाईट के लिए एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट के लिए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावें। संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/रावि/स्थानांतरण/2019/344

दिनांक:- 24/10/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी (मु) माध्यमिक शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना (कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति) तीन दिवस में करवाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार कार्मिकों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
7. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/राबाउमावि को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावें।
8. संबंधित कार्मिक।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)